न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं० – 3, जनपद बरेली
प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं० 449 सन 2022
तेजपाल बनाम संजू आदि

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता</u>

<u>दिनांक: 21.11.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। आवेदक मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। आवेदक तेजपाल के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर सुना गया।

आवेदक तेजपाल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि, प्रार्थी दि० 19–08–2022 की शाम अपने घर के दरवाजे के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था। समय करीब रात्रि 10 बजे का था तो विपक्षीगण शराब के नशे में प्रार्थी के दरवाजे के सामने खड़े होकर गालियां बकने लगे तो प्रार्थी ने अपने दरवाजे के सामने गालियां देने को मना किया तो विपक्षीगण प्रार्थी को गालियां देने लगे। प्रार्थी के विरोध करने पर विपक्षी सं0–1 संजू ने प्रार्थी के लाठी मार दी जो प्रार्थी के बायें हाथ की कलाई में लगी और विपक्षी सं0– 3 राजकुमार ने प्रार्थी के पेट में चाकू मार दिया जिससे प्रार्थी वहीं पर गिर पड़ा और फिर सभी लोग भाग गये फिर काफी लोग इकट्ठा हो गये तो प्रार्थी ने मुल्जिमों के नाम बताये और फिर प्रार्थी के परिवारीजन प्रार्थी को थाने ले जाने को तैयार हुए तो विपक्षीगण गाँव के कुछ सम्भ्रान्त लोगों को साथ लेकर प्रार्थी के घर आ गये और अपनी गलती की माफी मांगने लगे और कहा कि इलाज करायेंगे। गाँव के लोगों के कहने पर प्रार्थी थाने नहीं गया और प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज कराने लगा फिर पेट की जख्म में इन्फैक्शन होने लगा तथा सुधार नहीं हुआ तो प्राइवेट डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। प्रार्थी के बायें हाथ की कलाई में भी फ्रैक्चर निकला फिर प्रार्थी जिला अस्पताल गया तो वहां डॉक्टरों ने पुलिस केस बताकर इलाज करने को मना कर दिया तो प्रार्थी परेशान होकर थाने रिपोर्ट लिखाने को गया तो पुलिस ने भी लेट पहुंचने के कारण रिपोर्ट लिखने को मना कर दिया और मेडिकल कराने को भी चिट्ठी नहीं दी फिर प्रार्थी ने दि० 24–08–2022 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा और एक प्रार्थना पत्र स्वयं पेश होकर भी दिया फिर भी प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है और न प्रार्थी का इलाज कराया है। प्रार्थी बहुत परेशान है इसलिये माननीय न्यायालय की शरण में आया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कराकर उचित कानूनी कार्यवाही कराने की कृपा करें तथा प्रार्थी का इलाज कराने की कृपा करें।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को लिखे गये प्रार्थना पत्र की छाया प्रति मय रजिस्ट्री रशीद दाखिल की गयी है।

थाना बिथरीचैनपुर की आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है ।

आवेदक के अनुसार 19–08–2022 की शाम अपने घर के दरवाजे के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था। समय करीब रात्रि 10 बजे का था तो विपक्षीगण शराब के नशे में प्रार्थी के दरवाजे के सामने खड़े होकर गालियां बकने लगे तो प्रार्थी ने अपने दरवाजे के सामने गालियां देने को मना किया तो विपक्षीगण प्रार्थी को गालियां देने लगे। प्रार्थी के विरोध करने पर विपक्षी सं0–1 संजू ने प्रार्थी के लाठी मार दी जो प्रार्थी के बायें हाथ की कलाई में लगी और विपक्षी सं0– 3 राजकुमार ने प्रार्थी के पेट में चाकू मार दिया जिससे प्रार्थी वहीं पर गिर पड़ा और फिर सभी लोग भाग गये फिर काफी लोग इकट्ठा हो गये तो प्रार्थी ने मुल्जिमों के नाम बताये और फिर प्रार्थी के परिवारीजन प्रार्थी को थाने ले जाने को तैयार हुए तो विपक्षीगण गाँव के कुछ सम्भ्रान्त लोगों को साथ लेकर प्रार्थी के घर आ गये और अपनी गलती की माफी मांगने लगे और कहा कि इलाज करायेंगे। गाँव के लोगों के कहने पर प्रार्थी थाने नहीं गया

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को सम्पूर्ण घटनाक्रम, अभियुक्तगण के संबंध में जानकारी है, जिसे आवेदक स्वयं न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित कर सकता है। आवेदक द्वारा चोटों के सम्बन्ध में कोई भी प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है। माननीय़ उच्चतम न्यायालय ने **रवि कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 204(2) ए०सी०सी० पेज 1263** में यह अवधारित किया गया है कि, "प्रार्थना पत्रों के तथ्य से प्रथम दृष्टया प्रकट अन्तर्निहित असम्भाव्यता और चिकित्सीय आख्या के अनुपलब्धता में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पोषणीय नहीं है।"

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने Sukhwasi Son Of Hulasi vs State of Uttar Prudesh on 18 September, 2007 Equivalent citations: 2008 CriLJ 472) के मामले पैरा 22 में संप्रेक्षण किया गया है कि धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया

संहिता के प्रार्थनापत्रों की बाढ़ आ गयी है। यह तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये जब तक कोई असाधारण या असामान्य स्थिति जैसे न्याय की हत्या (miscarriage of justice) की स्थिति न बनती हो । उक्त मामले में किया गया संप्रेक्षण निम्नवत् हैः–

> "22. Applications under Section 156(3) Cr.P.C. are now coming in torrents. Provisions under Section 156(3) Cr.P.C. should be used sparingly. They should not be used unless there is something unusual and extra ordinary like **miscarriage of justice**, which warrants a direction to the Police to register a case. Such applications should not be allowed because the law provides them with an alternative remedy of filing a complaint, therefore, recourse should not normally be permitted for availing the provisions of Section 156(3) Cr.P.C. ."

माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न निर्णयज विधियों Chandrika Singh *versus* State of U.P. and Ors. 2007 (58) ACC 777, Suresh Chandra Jain v. State of Madhya Pradesh and Anr. 2001 (42)A.C.C.459S.C; Ram Babu Gupta 2001 (43) ACC 201 में यह संप्रेक्षण किया गया है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता को परिवाद में दर्ज किया जाना विधि के द्वारा अनुज्ञेय है, तथा वह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता को परिवाद में दर्ज किया जाना मजिस्ट्रेट के अधिकारिता में है।

मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में मेरी राय में आवेदक का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता परिवाद में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 दिनांक 23.01.2023 को पेश हो।

दिनांक: 21.11.2022

(आशुतोष II)
JO Code – UP 1969
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या – 3, बरेली